रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-16062020-219954
CG-DL-E-16062020-219954

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1685] नई दिल्ली, मंगलवार, जून 16, 2020/ ज्येष्ठ 26, 1942
No. 1685] NEW DELHI, TUESDAY, JUNE 16, 2020/JYAISHTHA 26, 1942

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 अप्रैल, 2020

का.आ. 1888(अ).—जबकि राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग अधिनियम, 2019 की धारा 11 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए दिनांक 10 अक्तूबर, 2019 को राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग की चिकित्सा सलाहकार परिषद का गठन किया गया था।

और जबकि केंद्र सरकार राष्ट्रीय चिकित्सा अधिनियम, 2019 की धारा 11 की उपधारा (2) के खंड (घ) के अनुसरण में तथा गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अनुशंसा पर डॉ. संजय वर्मा, चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग, दमन और दीव तथा डॉ. वी.के. दास, निदेशक, चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग, दमन और दीव तथा दादरा और नगर हवेली को चिकित्सा सलाहकार परिषद में क्रमश: संघ राज्य क्षेत्र दमन और दीव तथा संघ राज्य क्षेत्र दादरा और नगर हवेली के प्रतिनिधियों के रूप में नियुक्त किया गया था।

और जबकि दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव (संघ राज्य क्षेत्रों का विलयन) अधिनियम, 2019 के लागू होने के साथ ही, दो संघ राज्य क्षेत्रों के क्षेत्र को मिलाकर दादरा और नगर हवेली एवं दमन और दीव नाम से एक नए संघ राज्य क्षेत्र का गठन किया गया है। अत: संबंधित संघ राज्य क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व कर रहे दोनों संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधियों की चिकित्सा सलाहकार परिषद की सदस्यता समाप्त कर दी गई है।

और जबकि, गृह मंत्रालय, भारत सरकार ने राष्ट्रीय चिकित्सा अधिनियम, 2019 की धारा 11 की उपधारा (2) के खंड (घ) के अनुसरण में डॉ. वी.के. दास, निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग, दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव को राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग की चिकित्सा सलाहकार परिषद में संघ राज्य क्षेत्र के प्रतिनिधि के रूप में नामित किया है।

अतः, अब भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-3 में प्रकाशित भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की दिनांक 10 अक्तूबर, 2019 की अधिसूचना सं. का.आ. 3659(अ) में निम्नलिखित संशोधन किए जाते हैं:

(i) पैराग्राफ (4) के तहत, तालिका में क्र.सं. 3 और उससे संबंधित प्रविष्टियां निम्नानुसार प्रतिस्थापित की जायेंगी:

क्र.सं.	**संघ राज्य क्षेत्र का नाम**	**नामित सदस्य का विवरण**
(1)	**(2)**	**(3)**
3.	दादरा एवं नगर हवेली और दमन और दीव	डॉ. वी.के. दास, निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग, दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव

(ii) पैराग्राफ (4) के तहत तालिका में संघ राज्य क्षेत्र दमन और दीव से संबंधित क्र.सं. 4 पर प्रविष्टि हटाई जायेगी।

[फा. सं. वी. 11013/01/2019-एमईपी(पार्ट.II)]

निपुण विनायक, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

(Department of Health and Family Welfare)

NOTIFICATION

New Delhi, the 21st April, 2020

S.O. 1888(E).—Whereas on 10th October, 2019, the Medical Advisory Council of the National Medical Commission was constituted in exercise of the powers conferred by Section 11 of the National Medical Commission Act, 2019.

And whereas the Central Government, in pursuance of the clause (d) of Sub-section (2) of Section 11 of the National Medical Act, 2019 and on the recommendations of Ministry of Home Affairs, Government of India, appointed Dr. Sanajy Verma, Medical and Health Department, Daman & Diu and Dr. V. K. Das, Director, Medical & Health Department, Damn & Diu and Dadra & Nagar Haveli as representatives of UT of Daman & Diu and UT of Dadar & Nagar Haveli respectively in Medical Advisory Council.

And whereas, with the Dadra & Nagar Haveli And Daman & Diu (Merger of Union Territories) Act, 2019 coming into force, a new union territory known as the Union territory of Dadra & Nagar Haveli and Daman & Diu comprising the territory of the two Union Territories has been formed. Therefore, representatives of the two Union Territories have ceased to be members of the Medical Advisory Council representing their concerned Union Territories.

And whereas, Ministry of Home Affairs, Government of India, in pursuance of the clause (d) of sub-section (2) of section 11 of the National Medical Act, 2019 has nominated Dr. V. K. Das, Director, Medical Health Department, Dadra & Nagar Haveli and Daman & Diu as the representative of the Union Territory in the Medical Advisory Council of National Medical Commission.

Now, therefore, in the notification of the Government of India in the Ministry of Health and Family Welfare number S.O. 3659(E) dated 10th October, 2019 published in Gazette of India, Extra-ordinary, Part-II, Section 3, the following amendments are hereby made:-

(i) Under paragraph (4), in the Table, the serial number 3 and the entries relating thereto, shall be substituted as under:-

Sr. No.	**Name of the Union Territory**	**Details of Nominated Member**
(1)	(2)	(3)
3.	Dadra & Nagar Haveli and Daman & Diu	Dr. V.K. Das, Director, Medical Health Department, Dadra & Nagar Haveli and Daman & Diu.

(ii) Under paragraph (4) in the table the entry at serial number 4 in respect of Union Territory of Daman & Diu shall be deleted.

[F. No. V. 11013/01/2019-MEP (Pt.II)]

NIPUN VINAYAK, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Digitally signed by SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Date: 2020.06.16 19:05:34 +05'30'